तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जयसिंह पुत्र श्री किशनसिंह, ग्राम लौटोती, तहसील जैतारण 306302 बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :— 91/2024 जीसीएमएस नं. :— 2024/181 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	

—: निर्णय :—

18.11.2024

1. पत्रावली आज पेश हुई ।
2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन—पत्र दिनांक 02.09.2024 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्र स्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।
3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र में वांछित सूचना भू—अभिलेख, कलक्ट्रेट पाली से संबंधित होने से अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली ने अपने पत्रांक 1172 दिनांक 30.10.2024 द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1006 दिनांक 18.09.2024 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।
4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना काफी ढूढ़ने के बाद भी इस कार्यालय में नहीं मिली है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति जाहिर की।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत को निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः एक कमेटी का गठन किया जाकर वांछित सूचना कार्यालय में ढूंढकर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे व रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपॉर्ट दर्ज करवाने संबंधित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

6. निर्णय आज दिनांक **18.11.2024** को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाख़िल दफ्तर हो।

(एल.एन. मंत्री)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली

Scanned with ACE Scanner